प्रेस विज्ञप्ति

26.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने विक्रम कुमार और अन्य की **4.59** करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई तत्कालीन जिला नगर योजनाकार, करनाल विक्रम कुमार और तत्कालीन तहसीलदार, करनाल राजबख्श द्वारा रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में की गई है।

ईडी ने रिश्वतखोरी के एक मामले में राज्य सतर्कता ब्यूरो (एसवीबी), करनाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अपनी जांच के दौरान एसवीबी ने डीटीपी विक्रम कुमार और उनके सरकारी ड्राइवर बलबीर को रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद, एसवीबी ने विक्रम कुमार, राजबख्श और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से संबंधित दो एफआईआर दर्ज कीं। तलाशी के दौरान एसवीबी ने विक्रम कुमार और राजबख्श से **84.02** लाख रुपये (लगभग) की राशि जब्त की।

ईडी ने अपराध की आय (पीओसी) का पता लगाने और उक्त लोक सेवकों द्वारा रखी गई अचल और चल संपत्तियों में अवैध रूप से अर्जित धन के आगे उपयोग का पता लगाने के लिए जांच शुरू की। पीएमएलए के तहत अब तक की जांच के दौरान, विक्रम कुमार और राजबख्श द्वारा पीओसी का उपयोग करके खरीदी गई **3.75** करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की पहचान की गई है।

ईडी की जांच से पता चला है कि विक्रम कुमार और राजबख्श ने पीओसी को अपने स्वयं के बैंक खातों के साथ-साथ अपने रिश्तेदारों के बैंक खाते में भी जमा किया ताकि उसे बेदाग दिखाया जा सके। उन्होंने इन पीओसी का इस्तेमाल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया। इसलिए, यह मामला केवल रिश्वत के पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक विस्तृत मनी लॉन्ड्रिंग योजना है, जिसमें विक्रम कुमार और राजबख्श ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ऐसी अचल संपत्तियां जमा की हैं, जो अज्ञात स्रोतों से अर्जित उनकी आय से अधिक हैं।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत भूमि और फ्लैट के रूप में 3.75 करोड़ रुपये की कीमत की 09 अचल संपत्तियों और 84.02 लाख रुपये की नकदी को पीओसी के रूप में अंनतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच जारी है।